जनसंपर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771–2511964

निविदा संशोधन सूचना

क्रमांक– 5826/83/जसंसं/इले.मी./2022 अटल नगर, दिनाक : 12 दिसम्बर 2022

जनसंपर्क संचालनालय द्वारा निविदा क्रमांक–5580/दिनांक 24 नवम्बर 2022 अन्तर्गत शासकीय कार्यक्रमों, समारोह, बैठकों के प्रति टी.व्ही. कव्हरेज, सिंगल कैमरे से लाईव प्रसारण, न्यूज बुलेटिन निर्माण और ड्रोन वीडियोग्राफी कव्हरेज के लिए निविदा दर निर्धारण एवं इम्पैनलमेंट हेतु निविदा के प्री–बिड दिनांक 01–12–2022 में प्राप्त सुझाव को समाहित करते हुए निविदा प्रपत्र में निविदा प्रपत्र क्रय करने की अतिम तिथि 20–12–2022 की *जगह 26–12–2022*, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 20–12–2022 की *जगह 26–12–2022* तथा निविदा खोलने की अंतिम तिथि 20–12–2022 की *जगह 26–12–2022* संशोधन किया गया है। निविदा प्रपत्र के नियम शर्तो के बिन्दु क्रमांक–04 में जिस न्यूज चैनल/दूरदर्शन की जगह *जिस सेटेलाईट न्यूज चैनल/दूरदर्शन* और जिस संस्था की जगह *जिस शासकीय संस्था,* बिन्दु क्रमांक–15 पर निविदाकार के पास लैपटाप की जगह पर *निविदाकार के पास 02 लैपटाप,* बिन्दु क्रमांक–47 पर मैनपावर एवं उपकरणों की सूची की जगह *मैनपावर एवं साफ्टवेयर की सूची,* और वित्तीय दर प्रस्ताव में (अ) प्रति कव्हरेज दर पर टी.व्ही. कव्हरेज में राजधानी रायपुर/जिलों में प्रति टी.व्ही. कव्हरेज की एक मुश्त दर में *राजधानी रायपुर की दर और जिलों की दर,* (ब) सिंगल कैमरे से लाईव प्रसारण में– सिंगल कैमरे से लाईव प्रसारण की एक मुश्त दर *की जगह राजधानी रायपुर को छोड़कर प्रदेश के जिलों से सिंगल कैमरे से लाईव प्रसारण की एक मुश्त दर* (द) ड्रोन वीडियोग्राफी की प्रति कव्हरेज की एक मुश्त दर (राजधानी रायपुर/जिला) की जगह *ड्रोन वीडियोग्राफी की प्रति कव्हरेज की एक मुश्त दर राजधानी रायपुर की दर/जिलों की दर शामिल कर संशोधन किया गया है।*

कृपया संशोधित निविदा प्रारूप एवं संशोधित वित्तीय दर प्रारूप डाउनलोड कर संशोधित प्रारूप में दिनांक 26–12–2022 के समय अपरान्ह 3.00 बजे तक निविदा जमा कर सकते है।

आयुक्त
जनसंपर्क संचालनालय
अटल नगर, नवा रायपुर

शासकीय कार्यक्रमों, बैठकों एवं समारोह के एच.डी. फार्मेट में प्रति टी.व्ही. कव्हरेज, सिंगल कैमरे से लाईव प्रसारण, न्यूज बुलेटिन निर्माण और ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी कव्हरेज के लिए दर निर्धारण एवं इम्पैनलमेंट हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण–प्रपत्र

निविदा सूचना क्रमांक : 5580 अटल नगर, दिनांक : 24 नवम्बर 2022

संशोधन

//निविदा प्रपत्र//

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रूपये 2000/– (वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रूपये 1,00,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	दिनांक 26/12/2022 समय दोपहर 2:00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 26/12/2022 समय अपरान्ह् 3:00 बजे तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक 26/12/2022 समय सायं 4:00 बजे

जनसंपर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771–2511964
वेबसाईट www.jansampark.cg.gov.in या www.dprcg.gov.in

जनसंपर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771–2511964

क्रमांक– 5580/जसंसं/इले.मी./2022 अटल नगर, दिनाक : 24 नवम्बर 2022

शासकीय कार्यक्रमों, बैठकों एवं समारोह के एच.डी. फार्मेट में प्रति टी.व्ही. कव्हरेज, सिंगल कैमरे से लाईव प्रसारण, न्यूज बुलेटिन निर्माण और ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी कव्हरेज दर निर्धारण एवं इम्पैनलमेंट हेतु आमंत्रण सूचना

जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा शासकीय कार्यक्रमों, समारोह, बैठकों के प्रति टी.व्ही. कव्हरेज, सिंगल कैमरे से लाईव प्रसारण, न्यूज बुलेटिन निर्माण और ड्रोन वीडियोग्राफी कव्हरेज के लिए निविदा दर निर्धारण एवं इम्पैनलमेंट हेतु फर्मो से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, प्री–बिड तिथि, निविदा प्रपत्र जमा करने एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार है :–

क्र	निविदा	निविदा प्रपत्र शुल्क (वापसी योग्य नहीं)	अमानत राशि (बिना ब्याज के वापसी योग्य)	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि (दोपहर 2:00 बजे तक)	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि (दोपहर 3:00 बजे तक)	निविदा प्रपत्र खोलने की अंतिम तिथि (सायं 4:00बजे)
1	शासकीय कार्यक्रमों, बैठकों एवं समारोह के एच.डी. फार्मेट में प्रति टी.व्ही. कव्हरेज, सिंगल कैमरे से लाईव प्रसारण, न्यूज बुलेटिन निर्माण और ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी कव्हरेज	2,000/–	1,00,000/–	26.12.2022	26.12.2022	26.12.2022

निविदा संबंधी अधिक जानकारी के लिए नियम शर्ते एवं निविदा प्रपत्र जनसंपर्क संचालनालय की वेबसाईट **www.jansampark.cg.gov.in** या **www.dprcg.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 2000/– (दो हजार रूपए मात्र) (वापसी योग्य नहीं) की डी.डी./बैंकर्स चेक संचालक, जनसंपर्क संचालनालय के नाम से होगा। निविदा के नियम शर्तों में या अन्य किसी प्रकार संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

आयुक्त
जनसंपर्क संचालनालय
अटल नगर, नवा रायपुर

शासकीय कार्यक्रेमों, समारोह, बैठकों के कवरेज हेतु नियम शर्तें

प्रति कव्हरेज, सिंगल कैमरे से लाईव एवं न्यूज बुलेटिन निर्माण व ड्रोन वीडियोग्राफी हेतु सामान्य पात्रता शर्तें (संशोधन)

1. शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रति कव्हरेज दर पर टीव्ही कव्हरेज, सिंगल कैमरे से सीधा प्रसारण, न्यूज बुलेटिन निर्माण एवं ड्रोन वीडियोग्राफी हेतु योग्य एजेंसियों का इम्पैनलमेंट किया जायेगा।
2. समाचार चैनल एवं मीडिया हाउस को टी.व्ही. कव्हरेज टेण्डर में हिस्सा लेने की पात्रता नहीं होगी।
3. संस्था का स्थापना पंजीयन छत्तीसगढ़ राज्य में होना अनिवार्य है।
4. निविदाकार/संस्था को टेलिविजन न्यूज कव्हरेज का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिये। निविदाकर्ता ने जिस सेटेलाईट न्यूज चैनल/दूरदर्शन के लिये कार्य किया है, उसका सक्षम अधिकारी से प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें, अथवा जिस शासकीय संस्था के लिये न्यूज कव्हरेज का कार्य किया है,उस संस्था के विगत पांच वर्ष का कार्य आदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी विभिन्न न्यूज चैनलों को क्लीपिंग्स सम्प्रेषण ई–मेल एवं अन्य डिजिटल माध्यम से वीडियो फुटेज टी.व्ही. चैनलों को उपलब्ध कराने की सुविधा होनी चाहिए।
6. निविदाकार फर्म से संबंधित संलग्न कर्मचारी को टेलीविजन के लिए न्यूज कव्हरेज के संबंध में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
7. निविदाकार के पास स्वयं के स्वामित्व के 2 एचडी कैमरा होना अनिवार्य है।
8. निविदाकार के पास स्वयं के स्वामित्व के ऑडियो–वीडियो स्टुडियो के साथ एडिटिंग, डबिंग, ट्रांसफर की सुविधा होना अनिवार्य है। (उपकरण की सूची मय क्रय बिल के साथ संलग्न करें)।
9. निविदाकार फर्म का छत्तीसगढ़ राज्य में जीएसटी पंजीयन होना चाहिए। जीएसटी पंजीयन की प्रति जमा करना होगा।
10. फर्म को वित्तीय वर्ष 2019–20, वर्ष 2020–21 एवं वर्ष 2021–22 में टी.व्ही. कव्हरेज/वीडियो/एड फिल्म/डाक्यूमेंट्री निर्माण से संबंधित कार्यो का रू. 25 लाख प्रति वर्ष टर्न ओव्हर होना अनिवार्य है। इस संबंध में उक्त कार्यो का सी.ए. से सत्यापित गत तीन वर्ष का टर्न ओव्हर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. कैमरा एवं उपकरणों की क्रय संबंधी जानकारी जैसे क्रय किए जाने की तिथि, मूल्य मॉडल नम्बर का उल्लेख होना चाहिए।
12. शासकीय कार्यक्रमों के कव्हरेज (सम्पूर्ण वीडियोग्राफी और फुटेज), न्यूज बुलेटिन, सिंगल कैमरे से लाईव व ड्रोन वीडियोग्राफी का सर्वाधिकार जनसंपर्क संचालनालय का होगा। जनसंपर्क संचालनालय के सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी भी शासकीय कव्हरेज का फुटेज उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
13. निविदाकार द्वारा कव्हरेज किए गए वीडियो, न्यूज बुलेटिन लाईव कव्हरेज ड्रोन वीडियोग्राफी का आर्काईविंग का कार्य किया जाएगा।
14. निविदाकार के पास क्लाउड सर्वर या स्थानीय स्टोरेज सर्वर होना चाहिए।
15. प्रदेश के विभिन्न स्थानों से कव्हरेज कर क्लिपिंग भेजने के लिये निविदाकार के पास 02 लैपटॉप एवं इंटरनेट की सुविधा होना चाहिये।(दस्तावेज प्रस्तुत करें)
16. निविदाकार प्रति कव्हरेज दर पर टी.व्ही. कव्हरेज, सिंगल कैमरे से लाईव, न्यूज बुलेटिन निर्माण व ड्रोन वीडियोग्राफी में से सभी में या अर्हतानुसार इनमें से किसी भी में भाग ले सकते हैं।

17. निविदाकार के स्वयं/फर्म के नाम का वाहन (फोर व्हीलर) होना अनिवार्य है। (कागजात प्रस्तुत करें)

18. निविदाकार को माह सितम्बर 2022 का जीएसटी रिटर्न की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

19. निविदाकार व्यक्ति/संस्था का कर निर्धारण वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 एवं वर्ष 2022–23 का आयकर विवरणी एवं माह सितम्बर 2022 का जीएसटी रिटर्न की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

20. निविदाकार को उपकरणों का भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता परीक्षण जनसंपर्क संचालनालय द्वारा कराए जाने के पश्चात ही न्यूनतम निविदा मान्य किया जाएगा।

21. जनसंपर्क संचालनालय की आवश्यकता अनुरूप किसी भी समय निविदा नियम एवं शर्तो में परिवर्तन करने, नियम–शर्तें शिथिल करने का अधिकार आयुक्त/संचालक जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर को होगा जो निविदाकार को मान्य होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा, न ही कोई जवाब दिया जाएगा।

22. स्वीकृत निविदा आदेश दिनांक से दो वर्ष के लिए मान्य होगा। आपसी सहमति होने पर अवधि में वृद्धि करने का अधिकार आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर होगा। इसके लिए अलग से निविदा नहीं बुलाई जाएगी।

23. बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को मान्य या अमान्य करने का अधिकार संचालक/आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय रायपुर को होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। संचालनालय आवश्यकतानुसार निगोसिएशन कर सकेगा।

24. निविदाकर्ता को आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर के नाम से रूपए 1,00,000 (एक लाख रूपए) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त राशि सुरक्षा निधि हेतु होगी। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा स्वीकृत न होने पर धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।

25. घोषणा पत्र 100 रूपए के स्टाम्प पेपर में प्रस्तुत करना होगा।

26. इम्पैनल्ड एजेंसी का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर अनुबंध निरस्त किया जाएगा एवं अमानत राशि जप्त की जाएगी।

27. निविदाएं (तकनीकी बिड लिफाफा एवं वित्तीय बिड लिफाफा) अलग–अलग सील्ड लिफाफे में रखकर दोनों को एक बड़े लिफाफे में सील्ड कर प्राप्त की जाएगी।

(अ) तकनीकी विड लिफाफा – इस लिफाफे में सभी शर्ते, आर्नेस्टमनी एवं अन्य वांछित अभिलेख होने चाहिए।

(ब) वित्तीय विड लिफाफा – इसमें केवल वित्तीय भाव पत्र (दरें) निविदाकार के हस्ताक्षर के साथ होने चाहिए।

28. जनसंपर्क संचालनालय रायपुर की लेखा शाखा में जमा की गयी निविदा फार्म की कीमत रू. 2000/– (रू. दो हजार मात्र) (वापसी योग्य नहीं) राशि की शासकीय रसीद अथवा संचालक, जनसंपर्क संचालनालय के नाम से देय राशि रू. 2000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करना होगा।

29. निविदा की किसी भी शर्तो, नियम कंडिका को शिथिल करने अथवा सम्पूर्ण निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार आयुक्त सह संचालक, जनसंपर्क को होगा।

30. किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान नहीं होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्ष को मान्य होगा।

31. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर रहेगा।

प्रति कव्हरेज दर पर टीव्ही कवरेज हेतु अर्हता

32.राज्य शासन के कार्यक्रमों, समारोह, आयोजनों, बैठकों एवं अन्य कार्यक्रमों के कव्हरेज हेतु न्यूनतम दर पर अधिकतम 03 योग्य एजेंसियों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा।

33. निविदाकार द्वारा राज्य शासन के विभिन्न कार्यक्रमों, समारोह, बैठकों एवं विकास कार्यों, दौरों की समय सीमा में कव्हरेज किया जाएगा।

34. कार्यक्रम कव्हरेज के फुटेज एवं क्लिपिंग दूरदर्शन या अन्य चैनलों को पहुंचाने की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी।

35. टी.वी. चैनलों, जनसंपर्क संचालनालय एवं दूरदर्शन को गुणवत्ता युक्त कव्हरेज कर ई–मेल, व्हाट्सऐप एवं अन्य माध्यमों से तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेष वाहक से न्यूज क्लिपिंग यथासमय प्रेषित की जाएगी।

36. विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों के प्रति कव्हरेज दर पर टी.व्ही. कव्हरेज के लिये निविदाकर्ताओं को एचडी (हाई डेफीनेशन) फारमेट में वीडियोग्राफी (न्यूज कव्हरेज), एडिटिंग ई–मेल एवं व्हाट्सऐप से न्यूज भेजने की प्रति कव्हरेज की एकमुश्त दर निविदा फॉर्म में भरना होगा।

37.निविदाकार द्वारा प्रति कव्हरेज की दर पर राजधानी रायपुर एवं जिलों में कवरेज का कार्य किया जाएगा।

38. निविदाकार के पास छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिला मुख्यालय में अपने कैमरामेन अथवा कैमरामेन की सेवा लेने संबंधित कैमरामेन के साथ अनुबंध होना अनिवार्य है। साथ ही राजधानी रायपुर में फर्म के स्वयं के पास अथवा अनुबंधित कैमरामेन के स्वामित्व का 4 एचडी कैमरा होना अनिवार्य है। साक्ष्य हेतु उपकरण के बिल/दस्तावेज संलग्न करना होगा।

39.प्रति कव्हरेज दर पर टीवी कव्हरेज हेतु इम्पैनलमेंट का अर्थ कार्य की प्रतिबद्धता नहीं है। आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय के निर्देशानुसार एवं आवश्यकतानुसार प्रति कव्हरेज दर पर कार्य कराया जाएगा।

40.एक ही स्थान पर अलग–अलग बताकर किया गया कव्हरेज एक से अधिक मान्य नहीं होगा। एक कार्यक्रम स्थल पर एक ही दिन में किए गए एक से अधिक टीव्ही कव्हरेजों को एक ही कव्हरेज माना जाएगा।

41.कव्हरेज हेतु वाहन, भोजन एवं आवास की व्यवस्था निविदाकार द्वारा की जाएगी।

सिंगल कैमरे से लाईव कव्हरेज हेतु अर्हता

42-सिंगल कैमरे से लाईव कव्हरेज हेतु न्यूनतम दर पर अधिकतम 03 योग्य एजेंसियों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा।

43-महत्वपूर्ण शासकीय आयोजनों एवं सार्वजनिक महत्व के कार्यक्रमों का सिंगल कैमरे से लाईव कव्हरेज आयुक्त/संचालक जनसंपर्क के निर्देशानुसार एवं आवश्यकतानुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं अन्य माध्यमों में प्रसारण के लिये किया जाएगा। लाईव कव्हरेज के महत्वपूर्ण अंश का छोटे–छोटे वीडियो भी निविदाकार द्वारा तात्कालिक रूप से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

44-सिंगल कैमरे से लाइव कव्हरेज प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, आयोजनों आदि के लाईव फुटेज मंगाकर उसका त्वरित रूप से छोटे–छोटे वीडियो न्यूज चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराने के लिये भी किया जाएगा। छोटे–छोटे संपादित वीडियो के लिये निविदाकार को पृथक से भुगतान नहीं किया जाएगा।

45-निविदाकार फर्म के पास सिंगल कैमरे से महत्वपूर्ण इवेंट, आयोजनों एवं कार्यक्रमों के लाईव कव्हरेज के लिए कैमरा, कुशल मैनपॉवर, सर्वर एवं लाईव उपकरण होना चाहिए। कैमरा, कैमरामैन से अनुबंध एवं उपकरणों के साक्ष्य हेतु बिल/दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

46-निविदाकार के पास शासकीय कार्यक्रमों के कव्हरेज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाईव फीड उपलब्ध कराने आवश्यक उपकरण, साफ्टवेयर एवं तकनीक उपलब्ध होना चाहिए।

47- निविदाकार को सिंगल कैमरे से लाईव कव्हरेज के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची, मैनपॉवर एवं साफ्टवेयर की सूची प्रस्तुत करना होगा।

48-सिंगल कैमरे के साथ लाइव एवं विभिन्न प्लेटफार्म को फीड उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपकरणों (साफ्टवेयर) की सूची एवं उनकी उपयोगिता की जानकारी प्रस्तुत करना होगा।

49-सिंगल कैमरे से लाइव कव्हरेज हेतु इम्पैनलमेंट का अर्थ कार्य की प्रतिबद्धता नहीं है। आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय के निर्देशानुसार एवं आवश्यकतानुसार सिंगल कैमरे से लाईव कव्हरेज का कार्य कराया जाएगा।

50-सिंगल कैमरे से लाईव कव्हरेज हेतु प्रदेश के किसी भी जिले में आयोजित कार्यक्रमों के कव्हरेज हेतु भेजा जाएगा। कार्यक्रम के कव्हरेज हेतु आवागमन के लिए वाहन एवं भोजन व आवास व्यवस्था निविदाकार द्वारा की जाएगी। जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

51- महोत्सव, राज्योत्सव एवं इस तरह के लंबी अवधि के कार्यक्रम आयोजित होने पर आयुक्त एवं संचालक जनसंपर्क के निर्देशानुसार एक स्थान पर एक से अधिक लाईव कव्हरेज भी स्वीकृत किए जा सकेंगे।

52.निविदाकार फर्म द्वारा लाईव कव्हरेज उपरांत कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंश के छोटे–छोटे क्लिपिंग यथाशीघ्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

न्यूज बुलेटिन निर्माण के लिये अर्हता

53.न्यूज बुलेटिन निर्माण हेतु न्यूनतम दर पर अधिकतम 03 योग्य एजेंसियों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा। निविदाकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सऐप एवं अन्य जनसंचार माध्यमों में प्रसारण हेतु न्यूज बुलेटिन का निर्माण किया जाएगा।

54. न्यूज बुलेटिन का निर्माण शासकीय कार्यक्रमों, आयोजनों, बैठकों एवं दौरों पर आधारित प्रतिदिन या साप्ताहिक घटनाक्रम के आधार पर किया जाएगा।

55.न्यूज बुलेटिन जनसंपर्क संचालनालय के समाचार शाखा एवं जिला जनसंपर्क कार्यालयों द्वारा जारी समाचार, फोटो एवं वीडियो पर आधारित होगा।

56.न्यूज बुलेटिन की अवधि 5 मिनट की होगी। न्यूज बुलेटिन के निर्माण की अवधि कम या ज्यादा किए जाने पर दर की गणना आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

57.निविदाकार के पास न्यूज बुलेटिन के निर्माण के लिये वाईस ओवर आर्टिस्ट, समाचार संपादक एवं कंटेंट राईटर व आडियो–वीडियो एडिटर होना अनिवार्य है। समाचार संपादक, वाईस ओव्हर आर्टिस्ट, कंटेंट राईटर के पास समाचार चैनल या दूरदर्शन में कार्य का अनुभव होना चाहिये। साक्ष्य हेतु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

58.न्यूज बुलेटिन निर्माण हेतु इम्पैनलमेंट का अर्थ कार्य की प्रतिबद्धता नहीं है। आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय के निर्देशानुसार एवं आवश्यकतानुसार न्यूज बुलेटिन निर्माण का कार्य कराया जाएगा।

ड्रोन वीडियोग्राफी के लिये अर्हता

59. निविदाकार द्वारा ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी हेतु प्रति कव्हरेज की दर पृथक से प्रस्तुत किया जाएगा। ड्रोन वीडियोग्राफी हेतु आवश्यक उपकरण एवं संसाधन होना आवश्यक है। इसके लिये आवश्यक साक्ष्य हेतु बिल/दस्तावेज प्रस्तुत करें।
60. ड्रोन वीडियोग्राफी हेतु न्यूनतम दर पर अधिकतम 03 योग्य एजेंसियों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा।
61. कार्यक्रम के कव्हरेज हेतु आवागमन के लिए वाहन एवं भोजन व आवास व्यवस्था निविदाकार द्वारा की जाएगी।

इम्पैनलमेंट की प्रकिया

62. प्रति कव्हरेज दर पर टीवी कव्हरेज, सिंगल कैमरे से लाईव कव्हरेज, न्यूज बुलेटिन निर्माण एवं ड्रोन वीडियोग्राफी के लिये न्यूनतम दर पर अधिकतम तीन एजेंसियों का पृथक–पृथक इम्पैनलमेंट किया जाएगा। एजेंसी सभी में या किसी एक या एक से अधिक कार्य के इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन कर सकते हैं।
63. निर्धारित फाईनेंसियल बिड प्रारूप में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाला फर्म न्यूनतम (एल–1)बिडर होगा।
64. दो या दो से अधिक निविदाकार की दरें एक समान (न्यूनतम दर एल–1) होने की स्थिति में एल–1 दर वाले बिडर एल–1 होंगे।
65. एल–2 एवं एल–3 निविदाकार को निविदा के एल–1 दर इम्पैनलमेंट होने के लिये सहमति मांगा जाएगा एवं सहमत एजेंसियों को एल–1 दर पर इम्पैनल्ड किया जा सकता है।
66. एल–2 एवं एल–3 वाले फर्म का असहमत होने की स्थिति में एल–1 दर पर तीन फर्मों को इम्पैनल करने के लिये आगे की न्यूनतम दर अर्थात एल–4 दर वाले फर्म से एल–1 दर पर इम्पैनल होने की सहमति के लिये आमंत्रित किया जाएगा एवं सहमत होने पर इम्पैनल किया जा सकेगा। इस प्रकार एल–1 दर पर 3 फर्मों को इम्पैनल्ड किया जाएगा।

निविदाकर्ता का पूरा नाम ————————————
फर्म का नाम एवं पूर्ण पता ————————————
————————————————————————
टेलीफोन नम्बर/मो.नं. ————————————
निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ————————————

आयुक्त
जनसंपर्क संचालनालय
अटल नगर, नवा रायपुर

– 100 रूपए के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु घोषणा पत्र का प्रारूप :–

(रूपये 100/– स्टाम्प पेपर के साथ)

<u>घोषणा–पत्र</u>

मैं . . . . फर्म का नाम . . . . घोषणा करता हूं कि मैंने जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रति टी.व्ही. कव्हरेज, सिंगल कैमरे से लाईव एवं न्यूज बुलेटिन निर्माण व ड्रोन वीडियोग्राफी हेतु जारी निर्धारित नियम एवं शर्त अनुबंध का पूर्ण से अध्ययन करने के पश्चात् ही उपरोक्त आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।

हमारे द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पायी जाती है तो अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार संचालक/आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी भी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे जनसम्पर्क संचालनालय की उपरोक्त निविदा से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था————————————————————या मैं स्वयं किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेट (काली सूची में) नहीं है।

स्थान—————— हस्ताक्षर

दिनांक—————— (पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर

वित्तीय दर प्रारूप

अ– प्रति कव्हरेज दर पर टी.व्ही. कव्हरेज

क्र.	फर्म का नाम	राजधानी रायपुर/जिलों में प्रति टी.व्ही. कव्हरेज की एक मुश्त दर	
01		राजधानी रायपुर की दर	जिलों की दर

ब–सिंगल कैमरे से लाईव प्रसारण

क्र.	फर्म का नाम	राजधानी रायपुर को छोड़कर प्रदेश के जिलों में सिंगल कैमरे से लाईव प्रसारण की एक मुश्त दर
01		

स–न्यूज बुलेटिन

क्र.	फर्म का नाम	न्यूज बुलेटिन निर्माण की एक मुश्त दर (05 मिनट)
01		

द–ड्रोन वीडियोग्राफी से कव्हरेज

क्र.	फर्म का नाम	ड्रोन वीडियोग्राफी की प्रति कव्हरेज की एक मुश्त दर (राजधानी रायपुर/जिला)	
01		राजधानी रायपुर की दर	जिलों की दर

टीप :– जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। अन्य किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान जनसंपर्क संचालनालय द्वारा नहीं किया जाएगा।

निविदाकर्ता का नाम : ————————————————

फर्म का नाम और पता : ————————————————

मोबाईल/दूरभाष क्रमांक : ————————————————

हस्ताक्षर : ————————————————